5

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 3187–दो/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18–07–2012 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 275/2004–05/अपील

....

इरशाद उद्दीन पुत्र अलयास उद्दीन मुसलमान,
निवासी ग्राम ज्ञानपुर गुरैया तहसील
व जिला अशोकनगर म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

1– अनवर अहमद उर्फ भैया पुत्र रहीम उद्दीन मुसलमान
2–माहिला कमरून बाई पत्नी रहीम उद्दीन मुसलमान
निवासीगण–ग्राम ज्ञानपुरा तहसील
जिला– अशोकनगर म0प्र0 ....अनावेदकगण

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश
(आज दिनांक 1–8–2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 275/2004–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–07–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक इरशादउद्दीन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष संहिता की धारा 5 अवधि विधान के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण क्र0 207/अपील/1999–2000 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 17.03.2005 को निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 17.03.2005 के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई, जो दिनांक 10.06.2011 को अदम पैरवी में खारिज किया गया । अपर आयुक्त

आदेश दिनांक 10.06.2011 के विरूद्ध आवेदक ने प्रकरण पुर्नस्थापित किये जाने बावत् आवेदन–पत्र न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर के यहॉ प्रस्तुत किया गया । प्रकरण क्रमांक 275/2004–05/अपील माल पर दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 18–07–2012 को अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18–07–2012 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्टोरेशन का आवेदन–पत्र सदभाविक कारणों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत रेस्टोरेशन आवेदन–पत्र में उठाये गये आधारों पर विधिवत विचार नहीं किया गया । प्रकरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी उनके द्वारा नियुक्त किये गये अभिभाषक द्वारा नहीं दी गई तब वह अपने प्रकरण की वास्तविकता का पता करने हेतु दिनांक 29.02.2012 को न्यायालय में उपस्थित हुआ अपने अभिभाषक से प्रकरण की जानकारी प्राप्त की तब उसे बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण तारीख पेशी दिनांक 10.06.2011 को अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया गया है । तत्काल उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को दिनांक 29.02.2012 को प्राप्त हुई । तब प्रकरण में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.06.2011 की वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई है । वास्तविक दिनांक से रेस्टोरेशन आवेदन–पत्र निर्धारित अवधि में न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के न्यायालय प्रकरण पेश किया गया था जो ग्राह्य कर आगामी कार्यवाही हेतु नियत था । अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज नहीं किया जा सकता । तर्को में न्यायिक दृष्टांत –ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 41, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1400 एवं 1995 आर.एन 411 का भी उल्लेख किया गया है, जिसका अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा रेस्टोरेशन का आवेदन–पत्र अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, यह मानकर ही आवेदन–पत्र निरस्त किया गया। जबकि वास्तविकता यह थी कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.06.2011 की कोई जानकारी नहीं दी गई । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना था, जिसे अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त कर, अपील स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ प्रकरण के पुर्नस्थापित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में तथ्यों पर अपीलांट के आभिभाषक को सुना गया। यह सही है कि माननीय वरिष्ठ न्यायालयों के अनेक न्यायिक दृष्टांत है कि तकनीकी आधार पर अथवा अभिभषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं करना चाहिए। किन्तु विचाराधीन प्रकरण आदेश दिनांक 10.06.2011 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलांट के अभिभाषक ने अदम पैरवी में निरस्त हुये प्रकरण को पुर्नजीवित करने हेतु पुर्नस्थापन आवेदन दिनांक 10.07.2012 को अर्थात लगभग 01 वर्ष 01 माह उपरांत प्रस्तुत किया है जो अत्याधिक विलम्ब से है, क्योंकि प्रकरण में द्वित्तीय पक्ष के हितों को ध्यान में रखना होता है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण जो दिनांक 18.07.2012 को अमान्य का आदेश पारित किया है वह उचित एवं विधिनुकूल है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथ्यों में प्रकाश डालने के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहूँचा हूँ कि न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर दिनांक 18.07.2012 द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है और प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर